न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–28/अ–59/2017–18/243 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 32 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा कामठी स्थित खसरा नंबर 51 रकबा 35.222 हेक्टेयर भूमि वर्तमान अभिलेख में चरनोई मद में दर्ज है, उक्त भूमि पर पॉच व्यक्तियो के मकान बने हुए है, शासन के निर्देशानुसार इन व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए इस खसरा नंबर के कुल क्षेत्रफल में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि, उक्त खसरा नंबर लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा कामठी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 51 रकबा 35.222 हेक्टेयर में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्त्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा कामठी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 51 रकबा 35.222 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर खसरा नंबर 51 रकबा 35.222 हेक्टेयर क़ाबिल कास्त मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 18–8–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत कुण्डी की बैठक में, मौजा कामठी स्थित खसरा नंबर 51 में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा कामठी स्थित खसरा नंबर 51 लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाना उचित होगा।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा

समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— प्रकरण का समग्र अवलोकन किया, प्रतिवेदक अधिकारियो के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त प्रश्नाधीन भूमि लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित होने के कारण, मद परिवर्तन करने की अनुशंसा नहीं की गई है, परन्तु यह तथ्य भी निर्विवादित है कि, प्रश्नाधीन खसरे के सम्पूर्ण रकबे 35.222 हेक्टेयर का मद परिवर्तन नहीं किया जाना है, अपितु केवल 0.050 हेक्टेयर का मद परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रश्नाधीन खसरा नंबर के कुल रकबा में से मात्र 0.050 हेक्टेयर का मद परिवर्तन किए जाने से औद्योगिक प्रयोजन में कोई व्यवधान होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तथ्यो के आधार पर मौजा कामठी प.ह.नं. 32 तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 51 रकबा 35.222 हेक्टेयर मद काबिल कास्त में से 0.050 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—28/अ—59/2017—18/243 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर ।

2— तहसीलदार शाहपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत कुण्डी जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.